

'केन्द्रीय सरकार ने रक्षा मंत्रालय के कायदे-कानून में तब्दीली की, अडानी ग्रुप सोलर प्लांट के लिये'

सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के "सिविल कंस्ट्रक्शन" की इजाजत नहीं होती है, बॉर्डर पर टैक आदि मशीनों को "फ्री मूवमेंट" की सुविधा देने के लिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूग-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत के नेतृत्व वाले सरकार ने गैरीगांव अडानी समूह के निकट संबंधों का एक और खुलासा हुआ है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया कि भारत के नेतृत्व वाले सरकार ने गैरीगांव अडानी के विश्व के बाहर अखबार एनर्जी पार्क को मंजूरी देने के लिए रक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है। यह पार्क गुजरात के खावड़ा में बन रहा है जहाँ कच्छ के रेन में भारत-पाक सीमा के एक बिलोमीटर दूरी पर खाली और बिंद टाउन लगाए जाएंगे।

प्रोटोकॉल में छेड़छाड़ से अन्य देश जैसे चीन, बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान व भ्यामार के लिए भी सीमा पर ऐसे निर्माण करने का सहता साफ हो जाएगा।

रास्ते पर यह भी दावा किया है कि पहले खावड़ा में 230 वर्ग किलोमीटर भूमि, राज्य सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को सोलर एनर्जी लागाने के लिये "लीज़" पर दी गई थी। पर, मई 2023 में सरकारी कॉर्पोरेशन को आदेश देकर यह भूमि वापस ली गई था जुलाई 2023 को यह भूमि अडानी ग्रुप को दी गई।

अडानी ग्रुप ने इस प्लांट में वैदा सोलर एनर्जी को राज्य सरकारों को बहुत भारी दामों पर बेचने के लिये अनुबंध किये तथा अमेरिकी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप पर भारी रिश्वत देने का अधियोग पत्र दाखिल किया। सोलर एनर्जी को भारी दामों पर राज्य सरकारों को बेचने के लिये।

- पर, जब अडानी ग्रुप को खावड़ा (गुजरात) में 445 वर्ग किलोमीटर भूमि, सोलर व विंड एनर्जी प्लांट लागाने के लिये दी गई तो रक्षा मंत्रालय के कानून-कायदों में परिवर्तन करके, सीमा से एक किलोमीटर दूर ही "सिविल कंस्ट्रक्शन" की इजाजत दे दी गई।
- यह खबर प्रमुखता से लंदन के जाने-माने अखबार "द गार्जियन" में छापी है तथा अखबार ने दावा किया है कि उसके पास पूरे कागजात व दस्तावेज मौजूद हैं, अपनी खबर की सत्यता प्रमाणित करने के लिये।
- अखबार ने यह भी दावा किया है कि पहले खावड़ा में 230 वर्ग किलोमीटर भूमि, राज्य सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को सोलर एनर्जी लागाने के लिये "लीज़" पर दी गई थी। पर, मई 2023 में सरकारी कॉर्पोरेशन को आदेश देकर यह भूमि वापस ली गई था जुलाई 2023 को यह भूमि अडानी ग्रुप को दी गई।
- अडानी ग्रुप ने इस प्लांट में वैदा सोलर एनर्जी को राज्य सरकारों को बहुत भारी दामों पर बेचने के लिये अनुबंध किये तथा अमेरिकी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप पर भारी रिश्वत देने का अधियोग पत्र दाखिल किया। सोलर एनर्जी को भारी दामों पर राज्य सरकारों को बेचने के लिये।

अडानी ग्रुप ने इस प्लांट में वैदा सोलर एनर्जी को राज्य सरकारों को बहुत भारी दामों पर बेचने के लिये अनुबंध किये तथा अमेरिकी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप पर भारी रिश्वत देने का अधियोग पत्र दाखिल किया। सोलर एनर्जी को भारी दामों पर राज्य सरकारों को बेचने के लिये।

"क्या एक बिज़नेस ग्रुप का हित राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बढ़ता है?" वे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की सुरक्षा के साथ इनका भारत-पाक समझौता बहली बार किया गया है।

नीति में परिवर्तन से यह सवाल उठ

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान को 4102 एमसीएम पानी मिलेगा

केन्द्रीय जल शक्ति संचिव ने राजस्थान व मध्य प्रदेश को, संशोधनों को समाहित कर डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

जयपुर, 12 फरवरी। संशोधित पीकेसी (पार्टी-कालीसिंध-चम्बल) लिंक परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की संचिव श्रीपात्री देवांगी मुख्यमंत्री की अध्यकारियों की अमर बैठक हुई।

इसमें राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल विकास अधिकारी को प्रस्तुत डीपीआर पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सांख्यक जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधनों को अनुमति जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शक्ति मिलाए हैं। कुल 4102 एमसीएम उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, प्रदेश में पेयजल और सिर्काई के लिए 205.75 एमसीएम उद्योगों, जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 159.38 एमसीएम जल नियंत्रित की जाएगी। इसके निर्मित बांधों में जल अपवर्तन, भूजल पुर्वरक्षण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशिष्ट मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।